

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :-प.4(12)पपा/2016

जयपुर, दिनांक :- 21 DEC 2016

—: आज्ञा :—


राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के डॉ० विजय कुमार चम, उप निदेशक को वर्ष 2008-09 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर (वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 7600/-में) पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	वर्ष
1.	डॉ० विजय कुमार चम (सेवानिवृत्त)	सामान्य	2008-09

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015 डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

डॉ० विजय कुमार चम का नाम वर्ष 2008-09 की चयन सूची में क्र.सं.1 पर अंकित डॉ० एम.एल. परिहार नीचे तथा डॉ० महेश कटारा के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है एवं सामान्य वर्ग के चयनित अन्तिम अधिकारी डॉ० आलोक जुनेजा का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाकर वर्ष 2009-10 में क्र.सं.1 में प्रतिस्थापित किया जाता है। वर्ष 2009-10 में चयनित डॉ० एन.एम.सिंह का नाम वर्ष 2010-11 की पात्रता सूची में क्र.सं.1 पर डॉ० प्रदीप सारस्वत के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एन० एल० गुप्ता) 21/12/16
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव